समापन भाषण

माननीय सदस्यगण, चतुर्दश बिहार विधान सभा का चतुर्दश सत्र दिनांक- २२ फरवरी, २०१० से प्रारम्भ होकर आज, दिनांक ३१ मार्च, २०१० को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल २४ बैठकें हुईं ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक- २२ फरवरी, २०१० को महामाहम राज्यपाल द्वारा सह-समवेत बिहार विधान मंडल के सदस्यों को सम्बोधित किया गया । बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत पाँच विधेयकों का विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया ।

[इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल एवं लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से वाक-आऊट किया गया ।]

१७ (सत्रह) जनजनायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।

दिनांक २३ फरवरी, २०१० को उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद का उत्तर माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय प्रभारी मंत्री, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया ।

..क्रमशः....

(क्रमशः) दिनांक २५ फरवरी,२०१० को खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री, द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली,२०१० की एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी । श्री सचिन रमेश तेंदुलकर द्वारा ग्वालियर में आयोजित दक्षिण अफ्रिका के विरूद्ध एकदिवसीय क्रिकेट मैच में नाबाद दोहरा शतक बनाने पर सभा द्वारा श्री तेंदुलकर तथा बी०सी०सी०आई० को बधाई दिया गया । माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष २०१०-११ के आय-व्ययक को सदन में उपस्थापित करते हुए बजट भाषण दिया गया । साथ ही माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष २००९-१० के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक आय-व्ययक विवरणी सदन में उपस्थापित की गयी ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक २४ फरवरी,२०१० से जारी वाद-विवाद का उत्तर दिनांक ०३ मार्च,२०१० को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया तत्पश्चात् धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिनांक ०४ मार्च,२०१० को माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष २००९-१० के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक ०५ मार्च,२०१० को वित्तीय वर्ष २०१०-११ के आय-व्ययक पर हुए सामान्य विमर्श का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया ।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक ०९ मार्च,२०१० को वित्त लेखे २००८-०९ एवं विनियोग लेखे-२००८-०९ की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक १२ मार्च,२०१० को माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम २००५ की धारा-९९ के तहत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.२८९ दिनांक १७.१२.२००९, एस०ओ०-३ दिनांक १९.०१.२०१० एवं एस०ओ०-५ दिनांक २५.०१.२०१० की एक-एक प्रति तथा बिहार विशेष न्यायालय नियमावली २०१० की प्रति सदन पटल पर रखा गया ।

दिनांक १९ मार्च,२०१० को माननीय मुख्यमंत्री ने मक्का की फसल बर्बाद होने के विषय पर वक्तव्य देते हुए प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए १०हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देने की घोषणा की ।

दिनांक १९ मार्च,२०१० को माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग द्वारा पुलिस निर्माण निगम का वर्ष १९८९-९०, १९९०-९१ एवं १९९१-९२ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति, बिहार राज्य वित्तीय निगम वर्ष २००८-०९ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा राज्य सूचना आयोग वित्तीय वर्ष २००८-०९ के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक २६ मार्च,२०१० को माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष २००९-१० के बजट प्राक्कलन से संबंधित प्राप्ति एवं व्ययों के रूझान का तृतीय तिमाही का परिणाम बजट सदन पटल पर रखा गया ।

दिनांक २७ मार्च,२०१० को माननीय सदस्य, श्री रामायण मांझी ने आसन की सहमति से विशेषाधिकार हनन की सूचना सदन में प्रस्तुत किया, जिसे आसन ने विशेषाधिकार समिति को जाँच एवं प्रतिवेदन के लिए सौंप दिया ।

राजकीय विधेयकों में यथा - (१) बिहार विनियोग विधेयक,२०१० (२) बिहार विनियोग (संख्या-२) विधेयक,२०१० (३) बिहार वित्त विधेयक,२०१० (४) रजिस्ट्रीकरण (बिहार संशोधन) विधेयक,२०१० (५) बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०१० (६) बिहार सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक,२०१० (७) बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक,२०१० (८) बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक,२०१० (९) न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) विधेयक,२०१० (१०) बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) विधेयक,२०१० (११)बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) विधेयक,२०१० (१२)बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक,२०१० (१३) पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०१० (१४) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०१० (१५) बिहार कोचिंग सस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक,२०१० (१६) बिहार कृषि विश्वविद्यालय विधेयक,२०१० (१७) बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक,२०१० (१८) बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,२०१० (१९) बिहार पंचायती राज (संशोधन) विधेयक,२०१० (२०) बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक,२०१० एवं (२१) दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती विधेयक,२०१० सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सत्र के दौरान कुल-३१०८ प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । कुल २१६४ प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें ६३ अल्पसूचित प्रश्न, १६५३ तारांकित प्रश्न तथा ४४८ अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से ३२२ प्रश्न उत्तरित हुए एवं २५२ प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । ४६ प्रश्न अपृष्ठ हुए एवं १५४४ प्रश्न अनागत हुए । सत्र के दौरान कुल १०९ गैर सरकारी संकल्प की सूचना सदन में रखा गया।

..... क्रमशः .....

अध्यक्ष : इस सत्र में कुल ३१५ निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें १२७ स्वीकृत हुए एवं १८८ अस्वीकृत हुए । कुल ३७ याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें २० स्वीकृत एवं १७ अस्वीकृत हुई ।

इस सत्र में कुल ३२४ ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें ४५ वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा २२८ सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं ५१ अमान्य हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा कुल २५६ शून्य काल के माध्यम से जनहित के मामले उठाये गये । बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

प्रश्न-काल का पटना दूरदर्शन द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इन कार्यों से जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य किया, उन्हें साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक है, यह कभी नहीं दूबारा आयेगा इस पूरे विधान सभा में जब भी हो, चतुर्दश विधान सभा है और चतुर्दश सत्र है, इसलिए इस मामले में ऐतिहासिक है और कभी ये रिपीट नहीं हो सकता है। चतुर्दश विधान सभा का चतुर्दश सत्र है, इसको भी कहीं दर्ज कर दिया जाय।

अध्यक्ष : हमलोग सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस अवसर पर उपस्थित हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।

****